केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60061 दिनांक: 22.05.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50321

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली – 110001.
मो0 – 9599467474.

निर्णय की तारीख : 21.05.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.05.2018, 17.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा, श्री जीवन चंद्र
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.05.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा एवं श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.05.2018 के उक्त ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत मांगी गई रिक्रूटमेंट रूल्स की प्रति के संबंध में श्रीमती सविता तलूजा द्वारा प्रदान की गई सूचना में वेबसाईट का लिंक अधूरा है, अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित जन सूचना अधिकारी से प्राप्त समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स की सत्यापित प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है, साथ ही उल्लेख किया जाता है कि समूह 'घ' के कार्मिकों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग में कोई रिक्रूटमेंट रुल उपलब्ध नहीं है । बिंदु सं. 2, 3, 4 एवं 5 के संदर्भ में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स की प्रति ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2012/भाद्र 7, 1934
No. 428]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2012/BHADRA 7, 1934

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित, उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग में उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी "घ" और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 है।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested True Copy
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Info... Commission
Baba ... Marg,
Munirka, ...-110067

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(I) उच्च श्रेणी लिपिक	* 30(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' सचिवीय अनतु	वे.बैं -I, 5200-20200 रू.ग्रेड वेतन – 2400/-रू.	लागू नहीं होता	(केंन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) • टिप्पण - आयू सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए ।

सीधे किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

Attested True Copy

SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा : टिप्पण - 1 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे अधिकारी या 1900/-रु. ग्रेड वेतन पर में पदों पर आठ वर्ष की सेवा ; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं रखते हों प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता

Attested True Copy
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg
Munirka

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति – 1- अपर सचिव – केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2- सयुंक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सचिव 3- उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य	संघ लोक आयोग से परामर्श कराना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) आशुलिपिक श्रेणी "घ"	• 13 (2012) • कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय	वे. बैं. 1, 5200 – 20200 रु और ग्रेड वेतन 2400/- रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 के बीच (केंन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केन्द्रीय सूचना आयोग के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए ।

Attested True Copy

SAV... ...UJA
Se...
Central In... ...mission
Bat... ...Marg,
Munir... ...10067

3233c/12-2

(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण सन्नियम निम्ननुसार हैः- **श्रुतलेखन** : 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट प्रतिलेखन : कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) **टिप्पणी** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पणीः-** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नही होता	दो वर्ष

Attested True Copy

SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती **टिप्पण:-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुइ रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी । (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों या ग्रेड वेतन 1900/-रू.के पद पर आठ वर्ष सेवा कर चुके हों और (ख)स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों । **टिप्पण - 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंर्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नही होता ।

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(12)	(13)
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– 1- सयुंक्त सचिव – केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2- उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3- अवर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	• 9 (2012) • कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय	वे. बैं. 1, 5200 – 20200 रु और ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने की निर्यायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए ।

(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नही होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी:-** 1 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुइ रिक्तियां कैंन्द्रीय सरकार के निम्न लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी और जो स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों । **टिप्पणी** - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंर्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नही होता ।

(12)	(13)
पुष्टि के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति:- **1- सयुंक्त सचिव –** **केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष** **2- उप सचिव,** **केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य** **3- उप सचिव,** **केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 4/9/2011-आईआर (खण्ड II)]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

Attested True Copy

S... TALUJA
Section Officer
C... Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2016/भाद्र 16, 1938
No. 625] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2016/BHADRA 16, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 861(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में सहायक और निजी सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'ख' पद) (सहायक और निजी सहायक) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

Attested True Copy
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक	15* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनअनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7	चयन	तीस वर्ष से अनधिक टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुमोदित/संचालित कम्प्यूटर प्रचालन में प्रवीणता परीक्षा अर्हित की हो। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	प्रोन्नत और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; और (ii) पच्चीस प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड निजी सहायक पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे आशुलिपिकः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक; और (ii) प्रशासन या वित्त या सूचना का अधिकार मामलों का कार्य करने के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निजी सहायक	07* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Attested True Copy
Savita
SAVITA TAL...
Section Off...
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)

प्रोन्नति :

केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड निजी सहायक पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक है।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे आशुलिपिकः-

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो;

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4/9/2011-आईआर]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

Attested True Copy Savita

SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

		Note 1: the departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: (Period of deputation including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 4/9/2011-IR]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 862(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section O...
...mation ... mission
...
... New Delhi-110067

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुभाग अधिकारी	08* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारीः-

Attested True Copy
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; और

(ii) प्रशासन या वित्त या सूचना का अधिकार मामलों का कार्य करने के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -सदस्य	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निजी सचिव	*08 (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, और (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

Attested True Copy Savita
SAVITA TAL[illegible]A
Section Off[illegible]
[illegible]nformation Commission
[illegible] Marg,
Mun[illegible]ka, New Delhi-110067

(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे निजी सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड निजी सचिव श्रेणी में प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे आशुलिपिक:- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 4/9/2011-आईआर]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 863(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में अवर सचिव, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग, समूह 'क' पद (अवर सचिव, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपवद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अवर सचिव	06* (2016) * कार्यभार के आधार पर	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Attested True Copy Savita

SAVITA ...
Section O...
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg
Munirka, New Delhi-110067

	परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) सड़सठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; और (ii) तैंतीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड अवर सचिव श्रेणी की प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और (ii) प्रशासन, वित्त या सूचना का अधिकार मामलों का कार्य करने के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।

Attested
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -सदस्य 3. संयुक्त सचिव केन्द्रीय सूचना आयोग –सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	'03 (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) तैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, और (ii) सड़सठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ आमेलन द्वारा

(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव की प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो

Attested True Copy SAVITA TA

37

भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे आशुलिपिक :

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से केवल अधिकारियों को आमेलन के लिए विचार में लिया जाएगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग -सदस्य 3. संयुक्त सचिव केन्द्रीय सूचना आयोग -सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):- 1. सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. प्रधान निजी सचिव	05* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Attested True Copy
Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; और (ii) साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा

(11)
प्रोन्नति : केंद्रीय सूचना आयोग में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण मापदण्ड प्रधान निजी सचिव की प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे आशुलिपिक- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा हो; और टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से केवल अधिकारियों को आमेलन के लिए विचार में लिया जाएगा। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Attested True Copy Savita
SAVITA TALUJA
Section Officer
-tral Information Commission
Baba Gangnath Marg,
-irka, New Delhi-110067

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष/सदस्य -अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. अपर सचिव, -सदस्य केन्द्रीय सूचना आयोग 3. संयुक्त सचिव -सदस्य केन्द्रीय सूचना आयोग समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगें:- 1. सचिव -अध्यक्ष केन्द्रीय सूचना आयोग 2. अपर सचिव, -सदस्य केन्द्रीय सूचना आयोग 3. संयुक्त सचिव -सदस्य केन्द्रीय सूचना आयोग	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 4/9/2011-आईआर]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2016

G.S.R. 863(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and in supersession of the Central Information Commission (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Under Secretary, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary in the Central Information Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

   (1) These rules may be called the Central Information Commission, Group 'A; posts (Under Secretary, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.**—The number of posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

Attested True Copy

SAVITA TALUJA
Section Officer
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi-110067